प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
झांसी।

सेवा में,

1– कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
2– निदेशक, बुन्देलखण्ड अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
3– निदेशक, एस0आर0ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, झांसी।
4– निदेशक, श्रीमती विद्यावती कालेज ऑफ फार्मेसी एण्ड नर्सिंग एवं एजूकेशन, झांसी।
5– प्रधानाचार्य, समस्त नर्सिंग कालेज, जनपद, झांसी।
6– प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी।
7– प्रधानाचार्य, राजकीय पैरामेडिकल, कालेज, झांसी।
8– प्रधानाचार्य, बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झांसी।
9– प्रधानाचार्य, कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी।
10– निदेशक, चन्द्रशेखर आजाद विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, झांसी।
11– प्रधानाचार्य, समस्त पालीटैक्निक, जनपद झांसी (द्वारा–संयुक्त, निदेशक प्राविधिक, शिक्षा झांसी मण्डल झांसी)।
12– प्रधानाचार्य, समस्त आई0टी0आई0 जनपद झांसी (द्वारा–संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण /शिक्षु, झांसी मण्डल झांसी)।
13– प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय जनपद झांसी (द्वारा–क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी झांसी)।
14– प्रधानाचार्य, समस्त इण्टरमीडिएट कालेज जनपद झांसी (द्वारा–जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी)।

पत्रांक C-1839 /स0क0/छात्रवृत्ति/2024–25 दिनांकः 09 जुलाई, 2024

विषय– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय सारिणी का प्रेषण।**

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश सं0 87/2024/1942/26–3–2024/सी0एन0–1820919 दिनांक 08.07.2024 के माध्यम से समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः उक्त समय सारिणी पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि समय सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समस्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(ललिता यादव)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
झांसी।

पृष्ठांकन संख्या व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– जिलाधिकारी महोदय, झांसी।
3– मुख्य विकास अधिकारी महोदय, झांसी।
4– उप निदेशक समाज कल्याण, झांसी मण्डल झांसी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
झांसी।

...समाज कल्याण अनुभाग-3 Social Welfare Department

संख्या-87/2024/1942/26-3-2024/C.N.-1820919

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 08 जुलाई, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1089/स0क0/ शिक्षा अ/7/257/2024-25 दिनांक 01.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी के अनुसार छात्रों के स्तर से संशोधन हेतु अंतिम तिथि 15-02-2024 निर्धारित थी। एफिलियेटिंग एजेंसी यथा- परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा डी0एल0एड0 (डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन अर्थात बी0टी0सी0) पाठ्यक्रम एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम उक्त तिथि के उपरांत घोषित होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिस्पांस प्राप्त न होने तथा बैंक खाते का आधार सीडेड न होने के कारण (ट्रांजेक्शन फेल सहित) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल सकी है, जिनका विवरण निम्नवत है:

A0
2' action, NIC अधि
जारी करें।
8.7.2024
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	वर्ग	छात्रों की संख्या	अनुमानित धनराशि
1	समाज कल्याण विभाग	सामान्य वर्ग	9100	2500.00
2	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	अन्य पिछड़ा वर्ग	25479	5400.00
3	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	अल्पसंख्यक वर्ग	3214	803.50

3- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के उपरोक्त कारणों से वंचित छात्रों के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	<u>छात्रों के स्तर से आवेदन को सही करना</u> छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में गत वर्ष के परीक्षा परिणाम को ठीक किया जाना ऑनलाइन सब्मिट करना।	15 जुलाई, 2024 से 24 जुलाई, 2024 तक

2	<u>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना</u> ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 जुलाई, 2024 से 30 जुलाई, 2024 तक
3	<u>पी0एफ0एम0एस0 द्वारा रिस्पांस प्राप्त करना</u> पी0एफ0एम0एस0 द्वारा निरस्त/लम्बित डाटा का रिस्पांस एन0आई0सी0 स्तर से मंगाना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
4	<u>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र को ब्लॉक करना</u> विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
5	<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u> छात्र द्वारा सही किये गये डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में परीक्षाफल का परीक्षण आदि कर जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	31 जुलाई, 2024 से 08 अगस्त, 2024 तक
6	<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 अगस्त, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक
7	<u>मांग सृजन</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा एवं वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों का माँग सृजन कराना।	22 अगस्त, 2024 तक
8	<u>धनराशि का अन्तरण</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा, वर्ष 2023-24 के ट्रांजेक्शन फेल वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 अगस्त, 2024 तक

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में समयान्तर्गत परीक्षा परिणाम घोषित न होने एवं कतिपय अन्य कारणों से सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Rajani Kant Pandey

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

Date: 08-07-2024 11:14:52

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/ माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-1197 /स0क0/शिक्षा-अ/7/सी-46/2024-25

लखनऊ, दिनांकः 08 जुलाई 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों/ऑटोनामस, राजकीय व समस्त निजी शिक्षण संस्थानों आदि में आवश्यक कार्यवाही हेतु समय-सारिणी उपलब्ध कराते हुए नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों व पम्पलैट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

(आर0 पी0 सिंह)
उप निदेशक
कृते निदेशक